



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 21 अक्टूबर, 2024 / 29 आश्विन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 10th October, 2024

No. HPERC/Secy/438.—WHEREAS, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission notified the Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009 on 26th May, 2009, as
154—राजपत्र / 2024-21-10-2024 (7103)

published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 29th May, 2009 and subsequent five amendments, were published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 16th June, 2014, 7th August, 2018, 5th December, 2018, 4th July, 2020 and 21st January, 2022 respectively (hereinafter jointly referred to as “the said Code”);

AND WHEREAS, the HPSEBL and other Stakeholders have submitted proposals to carry out amendments in certain provisions of the Himachal Pradesh Electricity Supply Code, 2009 wherein the HPSEBL and the Consumers are facing problems in its implementation;

NOW, THEREFORE, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after considering the recommendations made by the Supply Code Review Panel as per the proceedings of its meeting held on 21st June, 2024, in exercise of the powers conferred under Section 50 and clause (x) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, hereby proposes to amend the said Code as per the following draft amendment Regulations which are hereby published for the information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft amendment Regulations will be taken into consideration after the expiry of **thirty (30) days** from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may, within the aforesaid period, be received in respect thereto. The text of the aforesaid draft amendment Regulations is available on the website of the Commission *i.e.* <http://www.hperc.org>. The objections and suggestions should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Vidyut Aayog Bhawan, Block No. 37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Supply Code (Sixth Amendment) Regulations, 2024.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of para 1.2 of the said Code.—Following new definition shall be inserted, as sub-para 1.2.41A, after sub-para 1.2.41 of the para 1.2 of the said Code:

“1.2.41A ‘Resident Welfare Association or Association’ means an association comprising all the property owners within a Co-operative Group Housing Society, Multi Storied Building, Residential Colony, or a similar body registered with the State Government.”

3. Amendment of para 1.3 of the said Code.—Following proviso shall be added to sub-para 1.3.1.1 of the para 1.3 of the said Code:

“Provided that the Commission may incorporate/amend the provisions of this Code to align them with the Rules framed by the Ministry of Power, Govt. of India without recommendations of the Supply Code Review Panel.”

4. Amendment of para 2.1.6.1(A) of the said Code.—

(i) The words “or joint dedicated feeder” shall be omitted from the para 2.1.6.1(A) of the said Code.

(ii) For the existing table under sub-para (a) of para 2.1.6.1(A) of the said Code, the following table shall be substituted:—

Sl. No.	Standard Supply Voltage	Maximum Connected Load		Maximum Contract Demand	
		Common Feeder	Dedicated Feeder	Common Feeder	Dedicated Feeder
1.	<i>LT Supply Voltage (for supplies not involving special category loads)</i>				
	i) <i>Single, 230 Volt</i>	$\leq 15 \text{ kW}$	-	$\leq 15 \text{ kVA}$	-
	ii) <i>Three Phase, 0.4kV</i>	50 kW (Sum total of individual connections)	50 kW	50 kVA (Sum total of individual connection)	50 kVA
2.	<i>Three Phase 11kV on Dog/equivalent conductor (for supplies not involving special category loads)</i>	7 MW (Sum total of individual connections)	7 MW	5 MVA (Sum total of individual connections)	5 MVA
3.	<i>Three Phase 22kV on Dog /equivalent conductor (for supplies not involving special category loads)</i>	14 MW (Sum total of individual connections)	14 MW	10 MVA (Sum total of individual connections)	10 MVA
4.	<i>Three Phase 33kV on Wolf/equivalent conductor</i>	21 MW (Sum total of individual connections)	21 MW	20 MVA (Sum total of individual connections)	20 MVA
5.	<i>Three Phase 66kV on Panther/ equivalent conductor</i>	40 MW (Sum total of individual connections)	40 MW	40 MVA (Sum total of individual connections)	40 MVA
6.	<i>Three Phase 132 kV on Panther/ equivalent conductor</i>	95 MW (Sum total of individual connections)	95 MW	95 MVA (Sum total of individual connections)	95 MVA
7.	<i>Three Phase 220 KV on Zebra/equivalent conductor</i>	No limits			

(iii) For sub-para (ii) of the first proviso of the sub-para (a) of the para 2.1.6.1(A) of the said Code, following shall be substituted:—

“(ii) the total quantum of connected load in respect of special category loads does not exceed 750 kW:”

(iv) Following provisos shall be inserted after 4th proviso to sub-para (a) of the para 2.1.6.1(A) of the said Code:—

“Provided further that where an existing consumer is already availing, on the date of the commencement of this Code, a supply voltage lower than the standard supply voltages as mentioned in para 2.1.6.1(A), the consumer shall have the option to shift to the relevant standard supply voltage or to continue availing supply at such lower voltage by paying lower voltage supply surcharge (LVSS) in accordance with the relevant Tariff Order during first year from the date of the commencement of this code and thereafter by paying monthly incremental charges @0.33% of the Energy Charges in addition to the LVSS. If such consumer does not switch to the relevant standard supply voltage after completion of 2 years from the date of the commencement of this code then, after serving a 30 days notice to the consumer, the licensee shall proceed for permanent disconnection, if no application is received from the consumer for shifting his supply to the relevant standard supply voltage prior to the expiry of the notice period:

Provided that in case of supply through dedicated feeder metering of consumer shall be done at feeding sub-station as per the proviso to Clause 4.2.2 of this Supply Code:

Provided further that in case of domestic consumers, the maximum limit of connected load shall be 20 kW instead of 15 kW at 230 Volt Supply Voltage:

Provided further that in case of common feeder, the name of feeder from where, the load to the consumer has been proposed to be released shall be recorded in the consumer database along-with details of the existing consumers/PAC Commitment with their connected load and contract demand so as to adhere to the limit of connected load and contract demand for respective supply voltage as indicated above. Licensee shall maintain the proper record of such common feeders having number of consumers and their connected load/contract demand, PAC issued to the consumers and reduction of connected load/ contract demand:

Provided further that where the connected load for single part consumers or contract demand for two part consumers exceeds the relevant ceiling limit specified in sub-para(a) of clause 2.1.6.1(A), the appropriate higher voltage at which such limits can be adhered to, shall be considered as standard supply voltage and there shall be no minimum limits for supply of power at a particular voltage.”

- (v) Following explanation shall be inserted after sub-para (b) of the para 2.1.6.1(A) of the said Code:—

“Explanation.—For the purposes of this sub-para,—

“ ‘Dedicated feeder’ means the electric supply line emanating from the secondary voltage of the sub-station of the licensee through which electricity is, or is intended to be, supplied to a single consumer. ”

5. The existing para 2.1.6.1(B) of the said Code shall be omitted.

6. **Amendment of para 2.1.6.1(C) of the said Code.**—For sub-para (iii) of the para 2.1.6.1(C) of the said Code, the following shall be substituted:

“(iii) Where the connected load or contract demand is to be enhanced, the standard supply voltage under sub-para 2.1.6.1 (A) shall be re-determined as per the provisions under the said para based on enhanced connected load and enhanced contract demand.”

7. Amendment of Explanation para succeeding to para 2.1.6.1(C) of the said Code.—For the “Explanation” para succeeding to para 2.1.6.1(C) of the said Code, the following shall be substituted:

“*Explanation.*—For the purposes of sub-para 2.1.6.1(A), “special category loads” means furnace loads and mass induction heating loads and shall also include any other load as the Commission may, after taking into consideration electrical characteristics and its impact on the distribution system, by order, declare it to be a special category load”

8. The existing para 2.1.6.2 of the said Code shall be omitted.

9. Amendment of para 2.1.6.3 of the said Code.—For the letters/numbers “2.1.6.2” in the para 2.1.6.3 of the said Code, the letters/numbers “2.1.6.1(A)” shall be substituted.

10. Amendment of para 3.1.4 of the said Code.—For the figure “60” in the sixth row and second column of the table under para 3.1.4 of the said Code, the figure “45” shall be substituted.

11. Amendment of para 3.1.6 of the said Code.—(i) For the sub-para 3.1.6(a) of the para 3.1.6 of the said Code, the following shall be substituted:

“(a) where no extension of distribution mains or commissioning of new sub-station is required for effecting such supply— (i) not exceeding three (3) days in metropolitan areas, (ii) within seven (7) days in other urban/municipal areas, (iii) within fifteen (15) days in rural areas, (iv) 30 days in other rural areas having hilly terrain;”

(ii) For the figure “120” in the sixth row and second column of the table under sub-para (b) of para 3.1.6 of the said Code, the figure “90” shall be substituted.

(iii) Following explanation shall be added at the end of the para 3.1.6 of the said Code:

“**Explanation:**

“For the purpose of this para 3.1.6, all areas excluding areas covered under 3.1.6(a) (i) and 3.1.6 (a) (ii) having height above 1000m from Mean Sea Level shall be considered as Hilly Areas. ”

12. Amendment of para 3 of the said Code.—Following new paras shall be inserted, as sub-para 3.1A and sub-para 3.1B, after sub-para 3.1 of the para 3 of the said Code:

“**3.1A Special provisions for release of connection(s) to the consumers residing under Resident Welfare Association**

(A) The provisions contained in the Regulation 6 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2012 shall be applicable with regard to making arrangements for release of connection(s) to the consumers residing under Resident Welfare

Association. The developer/Association shall also provide suitable land for Sub-station for providing supply.

(B) After the arrangements as per para (A) above have been made, the following provision shall be applicable for release of connection(s):

(a) Within the area covered under an Association, the distribution licensee shall provide either a single point connection for the Association or individual connections for each and every owner, on the basis of choice of the majority of the house or flat owners in such Association and the choice shall be ascertained by means of a transparent ballot to be held by the distribution licensee;

Provided that if more than fifty percent of the owners prefer individual connection then individual connection shall be given to each owner.

(b) the metering, billing, and collection shall be done separately for:

individual electricity consumption sourced from the distribution licensee; individual consumption of backup power supplied by the Association; and electricity consumption for common area of such Association sourced from the distribution licensee.

(c) In the case of a single point connection, the Association shall be responsible for metering, billing, and collection and for individual connections, these responsibilities shall vest with the distribution licensee.

d) In the case of a single point connection:

(i) the charges deducted through pre-payment meters or bills raised by the Association for individual electricity consumption shall be on no-profit-no-loss basis.

(ii) the distribution licensee's tariff for single point connection to Associations shall not exceed the average billing rate for low tension domestic category.

(iii) the total billing done by Association for the electricity supplied by the distribution licensee shall not exceed the overall tariff paid to the distribution licensee.

an additional amount as specified/fixed by the Commission may be charged towards the sub-distribution network cost incurred for providing electricity upto the premises of the individual consumer."

(C) In case of any conflict between the provision refer to para-(A) and para (B), the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2012 shall prevail in respect of the matters concerning the arrangements/infrastructure to be provided and for the purpose of giving connection(s) and their metering and billing the provisions contained in this code read with para (B) of this Regulation shall prevail.

3.1B On the request of an Association or an owner of the flat or house in an Association or any other consumer, the distribution licensee shall provide a separate

connection for supply of electricity for Electric Vehicle charging system as per relevant applicable provisions; ”

13. Amendment of para 3.3 of the said Code.—For the words/letters and figure “three (3) working days” in sub-para 3.3.1(i) of the said Code, words/letters and figure “forty eight (48) hours” shall be substituted.

14. Amendment of para 3.9 of the said Code.—(i) The words “alongwith the facility of temporary contract demand” appearing at Column No. 3 of the Sr. No. 5 of the table under sub-para (iv) of the para 3.9 of the said Code shall be omitted.

(ii) The words “or temporary reduction of total sanctioned contract demand” appearing in first proviso of the sub-para (iv) of the para 3.9 of the said Code shall be omitted.

15. Para 3.10 of the said Code shall be omitted.

16. Amendment of para 4.4 of the said Code.—Following proviso shall be added to the sub-para 4.4.2(a) of the para 4.4 of the said Code:

“Provided that in case of complaint by a consumer regarding meter reading not being commensurate with his consumption of electricity, distribution licensee shall install an additional meter within five days from the date of receipt of the complaint, to verify the consumption, for a minimum period of three months.”

17. Amendment of para 4.4.8 of the said Code.—Following new para shall be inserted after sub-para (iii) of the para 4.4.8:

“(iv) In case of CT/PT meters where the accuracy of the meter and accuracy of metering equipment is not involved and it is a case of incorrect connections, defective CTs/PTs, genuine calculation & mistakes etc., charges would be adjusted in favour of the Licensee / consumer as the case may be for the period the mistake/defect continued.”

18. Amendment of para 5.2.1.4 of the said Code.—(i) In the para 5.2.1.4 the words “every month” shall be substituted with the words “a day”.

(ii) Following paras shall be inserted after the para 5.2.1.4:

“5.2.1.4.1 After the installation of smart meters, no penalty shall be imposed on the consumer, based on the maximum demand recorded by the smart meter, for the period before the installation date.

5.2.1.4.2 In case maximum demand recorded by the smart meter exceeds the Sanctioned Load in a month, the bill, for that billing cycle, shall be calculated based on the actual recorded maximum demand and consumers shall be informed of this change in calculation through Short Message Service or mobile application :

Provided that the revision of the Sanctioned Load, if any, based on the actual recorded maximum demand shall be as under:

(a) in case of increase in recorded maximum demand, the lowest of the monthly maximum demand, where the recorded maximum demand has exceeded the

sanctioned load limit at least three times during a financial year, shall be considered as the revised Sanctioned Load, and the same shall be automatically reset from the billing cycle in next financial year; and

(b) in case of reduction of maximum demand, the revision of sanctioned load shall be done in accordance with the Supply codes/ Standard Operating Procedures issued by the respective Regulatory Commission.”

19. Amendment of para 5.2.9 of the said Code.—After sub-para 5.2.9.2 of the para 5.2.9, following new sub-para shall be inserted:

“5.2.9.2A In case consumers covered under single part tariff is provided with Smart Meters and are not covered under prepayment mode, the bills shall be sent through E-mail and intimation in this regard shall also be sent through SMS or any other electronic mode. The bills sent through E-mail, for which intimation has also been sent through SMS, to such consumers shall be considered as delivered.”

20. Amendment of para 7.1.1 of the said Code.—Following new para shall be inserted after para (h) of the para 7.1.1:

“(i) in case the consumer, availing supply at a lower voltage compared to the standard supply voltage as mentioned in para 2.1.6.1(A), does not opt for relevant standard supply voltage within a period of 2 years from the date of commencement of this code {5th proviso to sub-para (a) of the para 2.1.6.1(A)}.”

21. Amendment of para 7.1.2 of the said Code.—Following new proviso shall be inserted after 2nd proviso to the para 7.1.2:

“Provided further that in case of Smart Pre-payment meters the disconnection of the consumer shall not be considered as temporary disconnection if the balance in consumer’s account is exhausted and supply is restored on recharge by the consumer within a period of seven days from the date of exhaustion of its balance amount. The reconnection charges shall not be leviable and the fourth proviso below shall not be applicable in the instant case. However, this shall not be applicable in case disconnection is done as per provisions of clause (b) to (i) of sub-para 7.1.1, where the connection shall be disconnected through system as well as physically.”

By order of the Commission,
Sd/-
Secretary.

JAL SHAKTI VIBHAG

NOTIFICATION

Shimla-171 002, dated the 21st September, 2024

No. JSV-B(C) 9-1/2024.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of powers vested upon him under section 5 of the Himachal Pradesh Water Supply Act, 1968 (Act No. 8 of 1969), is

pleased to revise the rates of the water supply in Himachal Pradesh, with effect from 1st October, 2024 as under :—

1. RURAL WATER SUPPLY SECTOR

a. Domestic Consumers:

Category	Rural	Urban	
Domestic	Rs. 100 per connection per month (same rate for every additional connection, if any).	Quantity	Rate
		0 to 20 KL	Rs. 19.30/KL
		20 to 30 KL	Rs. 33.28/KL
		Above 30 KL	Rs. 59.90/KL
		Minimum Maintenance Charges/ Plugged on request.	Rs. 110 per month.
		Faulty Meter Rates (if consumption not available for previous three months).	Rs. 444.07 per month.

b. Institutional / Commercial Consumers:

Category	Urban & Rural	
Government Institutions/Commercial Institutions		
Govt. Institutions, Hospitals, Schools, Dharamshalas, religious places, Dhabas, Shops, Washing Centre, Home Stay, Private Hospital, Private School, Private Offices, Restaurants and Ordinary Hotels etc.	Consumption per month	Rate
	0 to 20 KL	Rs. 19.30/ KL
	20 to 30 KL	Rs. 33.28 / KL
	30KL to 50 KL	Rs. 59.90 / KL
	50 KL to 100 KL	Rs. 106.30/KL
	Above 100 KL	Rs. 150.00/KL
	Minimum Maintenance Charges/Plugged on request.	Rs. 110 per month (fixed).
	Faulty Meter rates (if consumption not available for previous three months).	Rs. 444.07 per month (fixed).

c. Commercial:

Commercial establishment <i>i.e.</i> Luxury Hotels above three stars etc.	0 to 30 KL	Rs. 106.30 / KL
	30 KL to 75 KL	Rs. 141.76 / KL
	Above 75 KL	Rs. 194.85 / KL
	Minimum Maintenance Charges/ Plugged on request.	Rs. 220 per month (fixed).
	Faulty Meter Rates (if consumption not available for previous three months).	Rs. 7779.70 per month (fixed).

d. Non-Domestic / Non-Commercial:

Category	Urban & Rural	
Non-Domestic / Non- Commercial	Rs. 153.07 Per KL	
	Minimum Maintenance Charges/ Plugged on request.	Rs. 1000 per month (fixed).
	Faulty Meter Rates (if consumption not available for previous three months).	Rs. 7072.45 per month (fixed).

2. CONNECTION CHARGES**a. RURAL WATER SUPPLY (Any Additional Connection will be charged at double rate):**

Particulars	Rates in Rupees		
	Domestic / Govt. Rate	Commercial Rate	Non- Commercial Non-Domestic
Connection Charges	200	500	2500

b. URBAN WATER SUPPLY (Any Additional Connection will be charged at double rate):

Particulars	Rates in Rupees		
	Domestic / Govt. Rate	Commercial Rate	Non- Commercial Non- Domestic
Connection Charges	1000	1500	2500

3. SEWERAGE CONNECTION CHARGES (Any Additional Connection will be charged at double rate)

Particulars	Rates in Rupees		
	Domestic / Govt. Rate	Commercial Rate	Non-Commercial Non-Domestic
Connection Charges	500	1000	2500

4. WATER CHARGES RATES FOR BULK SUPPLY BY JAL SHAKTI VIBHAG TO MUNICIPAL COMMITTEES

Particulars	Rate
Bulk Supply for Solan and Palampur	Rs.100 per KL

5. RATES OF IRRIGATION CHARGES (ABHIANA)

Particulars	Rate
Schemes	Rate per crop per acre
Irrigation Schemes	Rs. 75

Further the following terms and conditions are also prescribed in this regards:—

1. All the connections except Rural Domestic Connection shall be metered.
2. The charges for sewerage connection in Urban & Rural areas (where sewerage facility is available) be levied @ 30% of Water Charges.
3. ULBs / PRIs/ VWSC/Outsource Agency can be provided incentive of the total revenue collection on account of water charges as under:—
 - (a) For collection >75% to 100%, incentive @ 15%
 - (b) For collection > 50% but < 75% incentive @ 10%
 - (c) If collection less than 50%, incentive @ 5%
4. The following categories shall be provided water connections free of cost and consumption charges will also not be levied subject to submission of requisite certificate issued by competent authority:

Widows, orphans, deserted women, Divyang.

6. FAMILIES WITH ANNUAL INCOME LESS THAN Rs. 50,000/- WILL BE CHARGED @ 50% OF THE NOTIFIED RATES

Notification issued *vide* this office dated 21-09-2024 is hereby superseded with immediate effect.

By order,

Sd/-
(ONKAR CHAND SHARMA),
Addl. Chief Secretary (Jal Shakti).

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 अक्टूबर, 2024

संख्या ईडीएन-सी-ए(3)-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए), गुप-सी (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए), गुप-सी (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

राकेश कंवर,
सचिव (शिक्षा)।

उपाबन्ध-‘क’

हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा- V के लिए), गुप-सी (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम:	विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा- V के लिए)
2.	पद (पदों) की संख्या:	138 (एक सौ अड़तीस)
3.	वर्गीकरण:	गुप-सी
4.	वेतनमान:	(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान: “हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022

		<p>के अनुसार पद के समयमान से संलग्न पे-मैट्रिक्स का स्तर 8" ।</p> <p>(ii) संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां:</p> <p>हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत ।</p>
5.	"चयन" पद अथवा "अचयन" पद ।	अचयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु:	<p>18 से 45 वर्ष:</p> <p>परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:</p> <p>परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:</p> <p>परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:</p> <p>परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।</p> <p>टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।</p>
7.	शैक्षिक अर्हताएं:	<p>(क) शैक्षिक अर्हताएं:—</p> <p>(1) विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा- V के लिए):—</p>

		<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम पचास प्रतिशत अंकों सहित दस जमा दो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक।</p> <p>(ii) भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से विशेष शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा और एक विधिमान्य भारतीय पुनर्वास परिषद तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर संख्या हो।</p> <p>या</p> <p>भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से मान्यता प्राप्त अर्हता (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा) सहित शिक्षा स्नातक (बी0एड0) और एक विधिमान्य भारतीय पुनर्वास परिषद तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर संख्या हो।</p> <p>(iii) समावेशी शिक्षा में क्रॉस डिसेबिलिटी क्षेत्र में अध्यापन छह मास का प्रशिक्षण (**).</p> <p>और</p> <p>(iv) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ईटी0) में उत्तीर्ण हो।</p> <p>(**) यदि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विकसित किए जा रहे प्रस्तावित कार्यक्रम (क्रॉस डिसेबिलिटी/टॉप अप पाठ्यक्रम) सेवारत प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं हो तो उन्हें इस शर्त के साथ अर्हता से हटाया जा सकेगा कि प्रारम्भिक शिक्षा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा (प्रा0शि0डि0)/शिक्षा स्नातक (बी0एड0) विशेष शिक्षा सहित भर्ती अभ्यर्थियों को उपरोक्त प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करना होगा जितना शीघ्र उससे संचालित किया जाता है।</p> <p>टिप्पणः—अभ्यर्थी ने दसवीं और दस जमा दो की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से उत्तीर्ण की हो:</p> <p>परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासियों को लागू नहीं होगी।</p> <p>(ख) वांछनीय अर्हता (अर्हताएं):</p> <p>हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।</p>
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) : लागू नहीं

9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	<p>1. सीधी भर्ती :</p> <p>(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसे सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।</p> <p>(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।</p> <p>2. प्रोन्नति: लागू नहीं</p>
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	स्थास्थिति, 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर।
11.	प्रोन्नति, सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति /सैंकेण्डमैण्ट /स्थानान्तरण किया जाएगा:	लागू नहीं
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना:	<p>(i) विभागीय प्रोन्नति समिति:</p> <p>लागू नहीं।</p> <p>(ii) विभागीय स्थायीकरण समिति:</p> <p>जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी।</p>
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा:	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका

		<p>स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।</p>
15-क	<p>संविदा नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:</p>	<p>इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी :-</p> <p>(I) संकल्पना:</p> <p>(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा:</p> <p>परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।</p> <p>(ख) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र में आना:</p> <p>निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण, के समक्ष रखेगा।</p> <p>(ग) पद के चयन हेतु अभ्यर्थी को भर्ती और प्रोन्नति में यथाविहित अर्हता और पात्रता को पूरा करना होगा।</p> <p>(II) संविदात्मक उपलब्धियां :</p> <p>संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए), को ₹ 17,820/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।</p> <p>(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:</p> <p>निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।</p>

		<p>(IV) चयन प्रक्रिया:</p> <p>(क) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आने हेतु:-</p> <p>संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण /प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।</p> <p>(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:</p> <p>(क) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्य क्षेत्र में आना:-</p> <p>जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।</p> <p>(VI) करार:</p> <p>अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।</p> <p>(VII) निबन्धन और शर्तें:</p> <p>(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 17,820/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।</p> <p>(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।</p> <p>(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/ होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान,</p>
--	--	--

		<p>गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :</p> <p>अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा ।</p> <p>(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:</p> <p>परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।</p> <p>(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब</p>
--	--	--

		<p>तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।</p> <p>(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।</p> <p>(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।</p>
16.	आरक्षण:	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षा :	लागू नहीं
18.	शिथिल करने की शक्ति:	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध-“ख”

विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री
 निवासी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीखको किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार नेके रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 17,820/- प्रतिमास होगी (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी)।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्त पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा:

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1

(नाम व पूरा पता)

2.....

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

.....

(नाम व पूरा पता)

1

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-C-A(3)-1/2024, dated 10-10-2024 as required under clause(3) of Article 348 of Constitution of India].

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th October, 2024

No. EDN-C-A(3)-1/2024.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Special Educator (For Pre-Primary to Class-V), Group-C (Non-Gazetted) in the Department of Elementary Education, Himachal Pradesh, as per Annexure-‘A’ appended to this notification, namely:—

- 1. Short title and Commencement:**
- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Elementary Education Department, Special Educator (For Pre-Primary to Class-V), Group-C, (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2024.
 - (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,
Sd/-
(RAKESH KANWAR),
Secretary(Education).

Annexure-“A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL EDUCATOR (FOR PRE-PRIMARY TO CLASS-V), GROUP-C (NON-GAZATTED) IN THE DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION, HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of post:	Special Educator (For Pre-Primary to Class-V)
2.	Number of Post(s):	138 (One hundred thirty eight)
3.	Classification:	Group-C
4.	Scale of Pay (Be given in expanded notation):	<p>(i) Pay Band for regular incumbent(s):</p> <p style="text-align: center;">“Level 8 of pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022”.</p> <p>(ii) Pay Band for contractual incumbent(s):</p> <p style="text-align: center;">“60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022”.</p>

5.	Whether selection post or Non-selection post:	Non-Selection
6.	Age for direct recruitment:	<p>18 to 45 years:</p> <p>Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of Government including those who have been appointed on <i>ad hoc</i> basis or on contract basis:</p> <p>Provided further that if a candidate appointed on <i>ad hoc</i> basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her <i>ad hoc</i> or contract appointment:</p> <p>Provided further that the upper age limit is relaxable for Scheduled Caste /Scheduled Tribe/Other Backward classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.</p> <p>Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.</p> <p>Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.</p>
7.	Educational Qualifications:	<p>(a) ESSENTIAL QUALIFICATION:</p> <p>(1) Special Educator(Pre-Primary to Class-V):—</p> <p>(i) 10+2 from recognized Board with atleast 50% marks or Graduation in any stream from Recognized University.</p> <p>(ii) D.Ed. in Special Education from a Rehabilitation Council of India(RCI) approved Institute and possess</p>

		<p>a valid RCI & CRR number.</p> <p>OR</p> <p>D.El.Ed. with a recognized qualification (Certificate/Diploma) from a Rehabilitation Council of India(RCI) approved Institution and possess a valid RCI & CRR Number.</p> <p>(iii) Six-month training of teaching in cross disability area in inclusive education(**).</p> <p>AND</p> <p>(iv) Pass in Teacher Eligibility Test (TET) duly conducted by H.P. Board of School Education Dharamshala, District Kangra or any other Agency authorized by the Government.</p> <p>(**) If the proposed programme (cross disability/top up courses being developed by RCI as on in service training is not available same may be dropped from the qualification with a condition that those recruited with D.Ed./B.ED. Special Education have to compulsory undergo aforesaid training as soon as same is conducted.</p> <p>Note.— A candidate must have passed Matriculation and 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh:</p> <p>Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.</p> <p>(b) DESIRABLE QUALIFICATION(s): Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.</p>
8.	Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees:	<p>Age: Not Applicable</p> <p>Educational qualification(s): Not Applicable</p>
9.	Period of probation, if any:	<p>1. Direct Recruitment:—</p> <p>(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.</p> <p>(b) No probation in case of appointment on contract basis.</p>

		2. Promotion:— Not Applicable
10.	Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and percentage of posts to be filled in by various methods:	100% by direct recruitment, on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11.	In case of recruitment by promotion/ Secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ Secondment/ transfer is to be made:	Not Applicable
12.	If a Departmental Promotion committee exists. What is its Composition:	(i) Departmental Promotion Committee:— Not Applicable (ii) Departmental Confirmation Committee:— As may be constituted by Government from time to time.
13.	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission(H.P.P. S.C) is to be consulted in making recruitment:	As required under the law.
14.	Essential requirement for a direct recruitment:	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	Selection for appointment to the post by direct recruitment:	Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/ or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.

15 - A.	<p>Selection for appointment to the post by contract recruitment:</p>	<p>Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—</p> <p>(I) CONCEPT:—</p> <p>(a) Under this policy, the Special Educator(For Pre-Primary to Class-V), Group-C, (Non Gazetted) in the Department of Elementary Education Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:</p> <p>Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.</p> <p>(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH RAJYA CHAYAN AAYOG (HPRCA)/OTHER RECRUITING AGENCY:—</p> <p>The Director, Elementary Education, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting Agency/authority, as the case may be.</p> <p>(c) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these Rules.</p> <p>(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—</p> <p>The Special Educator(for Pre-Primary to Class-V) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 17,820/-PM(which shall be 60% of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre).</p> <p>(III) APPOINING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:—</p> <p>The Director, Elementary Education, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.</p>
---------	--	--

(IV) SELECTION PROCESS:**(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:**

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/authority, as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:—**(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:—**

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog /other recruiting agency, from time to time.

(VI) AGREEMENT:—

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per **Annexure-“B”** appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—

- (a)** The Special Educator(For Pre-Primary to Class-V) will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.17,820/P.M. (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre).
- (b)** The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination

		<p>orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.</p> <p>(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 day's special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.</p> <p>Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.</p> <p>(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:</p> <p>Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.</p> <p>(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of</p>
--	--	--

		<p>posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.</p> <p>(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of 'twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.</p> <p>(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.</p> <p>(h) Provisions of service rules like FR-SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).</p>
16.	Reservation:	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination:	Not applicable
18.	Power to Relax:	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Form of contract/ agreement to be executed between the Special Educator(For Pre-Primary to Class-V) (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education. (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ between Sh./Smt. _____ s/o Shri _____ r/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education (Designation of the Appointing Authority)/Head of the Institution i.e Principal/Headmaster (here-in-after the SECOND PARTY). Whereas , the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Trained Graduate Teacher (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Special Educator(for Pre-Primary to Primary) (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on _____. And information/ notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the Head of the Institution shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 17,820/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre) .
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
4. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her

control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required, to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. _____

(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. _____

(Name and full Address)

(Signature of the Second PARTY)

2. _____

(Name and full Address)

नगर निगम शिमला

अधिसूचना

दिनांक 4 अक्टूबर, 2024

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 226 (2)के अन्तर्गत सूचना

संख्या : ननिशि/आयु./7141/मु0/2023-2290.—जबकि मुहाल संकट मोचन, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला हि0 प्र0 में खसरा नम्बर 805 में 201.00 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 803 में 56.00 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 806 में 126.10 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 800 में 192.00 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 770 में 403.00 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 704 में 398.00 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 695 में 68.00 वर्ग मीटर की कुल लम्बाई 0/356 मीटर व चौड़ाई 3.00 मीटर से 4.00 मीटर लगभग आंशिक संशोधन करते हुए संकट मोचन मार्ग कर्व से चमरोग महावीर घाटी, वार्ड नं0 9 तक विद्यमान सड़क को सार्वजनिक रोगी वाहन मार्ग घोषित करने हेतु कार्यालय पृष्ठांकन संख्या ननिशि/आयु0/7141/मु0/2023-1502, दिनांक 06-07-2024 के द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 226 (2) के अन्तर्गत आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें एक माह का समय दिया गया था।

और जबकि आपत्तियां दायर करने हेतु एक माह का समय पूर्ण हो गया है, और निश्चित अवधि के भीतर किसी भूमि/भवन स्वामी से इस मार्ग के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए कोई भी आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

अतः मैं, भुपेन्द्र कुमार अत्री, आयुक्त, नगर निगम शिमला एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 226 (1) में दर्शाये गये प्रावधानों के अन्तर्गत मुहाल संकट मोचन, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला, हि0प्र0 में खसरा नम्बर 805 में 201.00 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 803 में 56.00 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 806 में 126.10 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 800 में 192.00 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 770 में 403.00 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 704 में 398.00 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 695 में 68.00 वर्ग मीटर की कुल लम्बाई 0/356 मीटर व चौड़ाई 3.00 मीटर से 4.00 मीटर लगभग आंशिक संशोधन करते हुए संकट मोचन मार्ग कर्व से चमरोग महावीर घाटी, वार्ड नं0 9 तक विद्यमान सड़क को सार्वजनिक रोगी वाहन मार्ग घोषित करता हूँ।

हस्ताक्षरित/—

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)**

श्रीमती पवना देवी पुत्री खेम्बो राम, निवासी टीका लम्बरा दी धार, डा0 बौडू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D)Delayed 2024/1-11118, दिनांक 18-06-2024 अनुसार श्रीमती पवना देवी पुत्री खेम्बो राम, निवासी टीका लम्बरा दी धार, डा0 बौडू, तहसील बमसन टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 08-03-1970 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत पुरली के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 08-03-1970 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत पुरली में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पवना देवी पुत्री खेम्बो राम, निवासी टीका लम्बरा दी धार, डा0 बौडू, तहसील बमसन टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 08-03-1970 को ग्राम पंचायत पुरली के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 11-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकार एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

1. श्री प्रदीप कुमार पुत्र अजीत सिंह, निवासी टीका स्वाहलवा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती सलीता कुमारी पुत्री जयजयराम सिंह, ग्राम हरिणमार, वार्ड नं0 05, प्रखण्ड बरियापुर,
जिला मुंगेर, बिहार प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—विवाह पंजीकरण under section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने
बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 05-08-2022 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार आपस में विवाह किया है व आपस में पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश वह विवाह ग्राम पंचायत नाडसी में उपरोक्त दिनांक को दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थीगण अब इस विवाह को ग्राम पंचायत नाडसी के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहता है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता

है कि इस विवाह पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 24-10-2024 को एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 11-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 22-10-2024

मंजू देवी पुत्री वक्शी राम, निवासी महाल रछयालू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल रछयालू व जुगेहड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम मंजू देवी पुत्री वक्शी राम है जबकि महाल रछयालू व जुगेहड़ के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम मंजू कुमारी पुत्री वक्शी राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उपरोक्त महाल में उक्त नाम को सही करके मंजू कुमारी उपनाम मंजू देवी पुत्री वक्शी राम से दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

पेशी : 22-10-2024

सुनीता देवी पुत्री वक्शी राम, निवासी महाल रछयालू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि० प्र० रा० अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 (1) के तहत महाल रछयालू व जुगेहड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सुनीता देवी पुत्री वक्शी राम है जबकि महाल रछयालू व जुगेहड़ के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम सुनीता कुमारी पुत्री वक्शी राम दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थिया उपरोक्त महाल में उक्त नाम को सही करके सुनीता कुमारी उपनाम सुनीता देवी पुत्री वक्शी राम से दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 22-10-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा नं० : 03 / 2023 / तकसीम भूमि

तारीख पेशी : 22-10-2024

विनय, विनोद, विकास पुत्र व रजनी देवी विधवा चतर सिंह, निवासीगण महाल नौशहरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

कर्म सिंह द्वारा जायज वारसान आदि

समन बनाम : अशवनी कुमार, अनिल कुमार, सुशील कुमार पुत्र व वन्दना कुमारी पुत्री कर्म सिंह, धर्म सिंह, जन्म सिंह, कुलतार सिंह, करनैल सिंह, पुत्र जसबन्त सिंह, हरमीत सिंह, दिनेश राणा, विवेक राणा पुत्र कुलतार सिंह, निवासीगण नौशहरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। प्रतिवादी।

इश्तहार बाबत मुकद्दमा बाबत तकसीम भूमि खाता नं० 07, खतौनी नं० 11, ता 17, खसरा कित्ता 27, रकबा तादादी 01-88-08 है० वाक्या महाल नौशहरा मौजा रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मुताबिक जमाबंदी वर्ष 2017-18.

उपरोक्त विषय से संबन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादियों को इस अदालत द्वारा समन जारी हुए परन्तु प्रतिवादियों के समन बिना तामील के प्राप्त हुए या निर्धारित पेशी के दौरान प्रतिवादीगण हाजिर न आए। इसलिए इस अदालत को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तकसीम के मुकद्दमे के संबंध में यदि उन्हें कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 22-10-2024 को दोपहर 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष/एतराज/उजर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी उसके बाद कोई उजर या एतराज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 18-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित इस अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Butel Singh s/o Late Sh. Jayanti Ram, r/o Ward No. 5, Village Bhadwal, P.O. Matour,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public.

2. The Registrar, Births and Deaths-cum-Secretary, G.P. Mandal, Tehsil Dharamshala.

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Butel Singh s/o Late Sh. Jayanti Ram, r/o Ward No. 5, Village Bhadwal, P.O. Matour,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Father Jayanti Ram s/o Sudama Ram की जन्म/मृत्यु तिथि 20-07-1990 है परन्तु MCD Dharamshala/ग्राम पंचायत Mandal में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Jayanti Ram की जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Shalu Devi d/o Late Nikku Ram s/o Asha Ram, r/o Ward No. 5, M.C. Dharamshala, Tehsil
Dharamshala, District Kangra (H.P.).

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shalu Devi d/o Late Nikku Ram s/o Asha Ram, r/o Ward No. 5 M.C. Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी/उसके Father Nikku Ram s/o Asha Ram की जन्म/मृत्यु तिथि 02-07-1995 को हुआ/हुई है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस इशतहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Nikku Ram की जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

Kavita Devi presently w/o Suresh Kumar, Grand Daughter of Late Smt. Iswari Devi w/o Sidhu Ram, r/o Village Khaterh, P.O. Dhagwar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public.

2. The Registrar, Births and Deaths-cum-Secretary, G.P. Mandal, Tehsil Dharamshala

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Kavita Devi presently w/o Suresh Kumar, Grand Daughter of Late Smt. Iswari Devi w/o Sidhu Ram, r/o Village Khaterh, P.O. Dhagwar, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके/उसकी Grand Mother Iswari Devi w/o Sidhu Ram की जन्म/मृत्यु तिथि 04-11-2011 है परन्तु MCD Dharamshala/ग्राम पंचायत Dhagwar में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Iswari Devi की जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 08/T/C/2024

तारीख दायरा : 05-09-2024

तारीख पेशी : 23-10-2024

यश पाल पुत्र वसन्ता राम, वासी महाल अमरोह, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख महाल अमरोह में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि मेरा नाम राजस्व अभिलेख महाल अमरोह में जशपाल पुत्र वसन्ता राम पुत्र जहला, वासी महाल अमरोह दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड व रजिस्टर ग्राम पंचायत अमरोह में यश पाल पुत्र वसन्ता राम दर्ज है। जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल अमरोह में जशपाल उपनाम यश पाल पुत्र वसन्ता राम पुत्र जहला के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, जसवां, तहसील जसवां,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

जगदीश कुमार पुत्र विश्व दास, वासी महाल संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—आवेदन—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

जगदीश कुमार पुत्र विश्व दास, वासी महाल संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन किया है कि मेरे पुत्र ब्रह्म दास का जन्म दिनांक 10-10-2002 को महाल संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुआ था लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण एवं उसके रिश्तेदारों को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त ब्रह्म दास पुत्र जगदीश कुमार पुत्र विश्व दास, वासी महाल संसारपुर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के जन्म का पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत घाटी को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जसवां, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 03/T/C/2024

तारीख दायरा : 07-05-2024

तारीख पेशी : 23-10-2024

विक्रान्त शर्मा पुत्र शाम चन्द पुत्र प्रशोतम दास, वासी महाल स्वाणा निचला, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका व उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में विक्रान्त कुमार पुत्र श्याम चन्द पुत्र प्रशोतम दास, वासी महाल स्वाणा निचला दर्ज है जबकि प्रार्थी के स्कूल प्रमाण—पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत स्वाणा में विक्रान्त शर्मा पुत्र शाम चन्द दर्ज है। जोकि मेरा व मेरे पिता जी का सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल स्वाणा निचला में विक्रान्त कुमार उपनाम विक्रान्त शर्मा पुत्र श्याम चन्द उपनाम शाम चन्द पुत्र प्रशोतम दास के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नामों की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : 09/T/C/2024

तारीख दायरा : 05-09-2024

तारीख पेशी : 23-10-2024

होशियार सिंह पुत्र रणिया राम, वासी महाल जण्डौर, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल
वासी महाल भटेड़, तहसील मुकेरिया, जिला होशियारपुर, पंजाब। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख महाल जण्डौर में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल जण्डौर में रण सिंह पुत्र माधो पुत्र उधो, वासी महाल जण्डौर दर्ज है जबकि पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र व मेरे आधार कार्ड में रणिया राम पुत्र माधो राम दर्ज है। जोकि मेरे पिता जी का सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल जण्डौर में रण सिंह उपनाम रणिया राम पुत्र माधो उपनाम माधो राम पुत्र उधो के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 21/C/2024

किस्म मुकद्दमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्री बिधि चंद पुत्र सालिगराम, निवासी महाल भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री बिधि चंद पुत्र सालिगराम, निवासी महाल भिरडी, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम अनुसार प्रधार रिपोर्ट व उसके अपने आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, वोटर कार्ड में सालिगराम दर्ज है जोकि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भिरडी में उसके पिता का नाम कृपाल सिंह दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल भिरडी में दुरुस्त करके सालिगराम करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 12-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 20/C/2024

किस्म मुकद्दमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्री गुरदेव डोगरा पुत्र सन्त राम, निवासी महाल सलहेरा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री गुरदेव डोगरा पुत्र सन्त राम, निवासी महाल सलहेरा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम अनुसार आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दर्ज है जो कि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल सलहेरा में उसका नाम गुरदेव कुमार उपनाम गुड्डू दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल सलहेरा में गुरदेव डोगरा दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 10-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 17/N/24

तारीख पेशी : 24-10-2024

Veena Rana d/o Bhagat Ram s/o Late Sh. Nettare Singh, r/o Village Paleta, P.O. Molang,
Tehsil Jaisinghpur, District Kangra, H.P. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थिया Veena Rana d/o Bhagat Ram s/o Late Sh Nettare Singh, r/o Village Paleta, P.O. Molang, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra, H.P ने इस अदालत में हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि उनके दादा की मृत्यु दिनांक 25-04-1975 को गांव पलेटा ग्राम पंचायत सरी में हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से मृत्यु पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत सरी को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त नेत्र सिंह की मृत्यु तिथि 25-04-1975 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 24-10-2024 को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा उक्त नेत्र सिंह की मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत सरी को पारित कर दिये जाएंगे।

मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 11-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 :

किस्म : दुरुस्ती

तारीख पेशी :

जीत कुमार पुत्र श्री झौंफी राम पुत्र श्री छांगू, निवासी गांव कस्बा, डा0 व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करके अजीत कुमार के बजाए जीत कुमार दर्ज करने बारे।

जीत कुमार पुत्र श्री झौंफी राम पुत्र श्री छांगू, निवासी गांव कस्बा, डा0 व तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल कस्बा, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम अजीत कुमार पुत्र श्री झौंफी राम पुत्र श्री छांगू है, जबकि प्रार्थी का असल नाम जीत कुमार पुत्र श्री झौंफी राम पुत्र श्री छांगू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके जीत कुमार पुत्र श्री झौंफी राम पुत्र श्री छांगू किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 02 / 23

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 25-10-2024

पुष्पा देवी विधवा राम सिंह, वासी महाल मेहवा, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थिया।

बनाम

1. चन्द राज, 2. हंस राज पुत्रान लखू उर्फ लीहखू, 3. विजय सिंह पुत्र राम सिंह, 4. दीवान चन्द पुत्र मोहर सिंह, 5. ब्रह्मी देवी पत्नी, 6. नरेश कुमार, 7. राकेश कुमार पुत्रान दीवान चन्द, 8. आशा कुमारी पत्नी प्रवीण कुमार, 9. सुनील कुमार, 10. कश्मीर सिंह, 11. किशोरी लाल, 12. प्यार चन्द, 13. गनेश कुमार पुत्रान, 14. राजो देवी विधवा साधू राम, 15. अमन कुमार, 16. अविनाश कुमार पुत्रान शुभकर्ण, 17. अनीता कुमारी पुत्री, 18. वीना देवी विधवा शुभकर्ण, 19. रविन्द्र कुमार, 20. पवन कुमार पुत्रान, 21. आशा कुमारी पुत्री, 22. गीता देवी विधवा तरलोक चन्द, 23. हि0 प्र0 सरकार समस्त वासीगण महाल मेहवा, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रत्यार्थीगण।

विषय— भूमि तकसीम खाता नं0 5, खतौनी 7 ता 11, खसरा कित्ता 39, रकबा 05-49-35 है0 स्थित महाल मेहवा, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी 2020-21.

समन बनाम :-

उपरोक्त प्रत्यार्थीगण नं0 2, 3, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 17, 21

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचारधीन हैं। इसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण के समनों की तामील साधारण तरीके से न हो पा रही है। प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि प्रतिवादीगण को बजरिया इशतहार तलब किया जाए। अतः अब इस इशतहार राजपत्र, हि0 प्र0 द्वारा प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि वह इस केस की पैरवी हेतु दिनांक 25-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होवे। गैरहाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 25-09-2024 को हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं०: /2024

Phuntsok Tashi s/o Chonga Tsering, r/o Near Dal Lake TCV School Dharamshala, Tehsil
Dharamshala, District Kangra (H.P.)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Phuntsok Tashi s/o Chonga Tsering, r/o Near Dal Lake TCV School Dharamshala, Tehsil
Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि
उसका अपना Phuntsok Tashi s/o Chonga Tsering का जन्म दिनांक 11-10-1994 को हुआ है परन्तु
एम0 सी0 धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें।
इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी
को उपरोक्त Phuntsok Tashi के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में
दिनांक 19-10-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा
मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं० : 34-NCT/2024

दायर तिथि : 12-07-2024

श्री मोटू पुत्र श्री कालटू राम पुत्र श्री शेतू, निवासी गांव कोशवी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला
कुल्लू (हि0प्र0)। प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री मोटू पुत्र श्री कालटू राम पुत्र श्री शेतू निवासी गांव कोशवी, डा0 मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 12-07-2024 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थी ने दर्शाया है कि फाटी शिलीहार कोठी खोखन के राजस्व दस्तावेज में प्रार्थी का नाम सहबन गलती से चेत राम पुत्र श्री कालटू पुत्र शेतू दर्ज है। जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। जबकि प्रार्थी का नाम मोटू पुत्र श्री कालटू पुत्र शेतू है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम दुरुस्त करके श्री चेत राम उर्फ मोटू दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 32-NCT/2024

दायर तिथि : 21-10-2023

श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री मोहन पुत्र श्री छीतरू व हाल पत्नी श्री मंगल सिंह, निवासी गांव परगाणु, डा0 व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री मोहन पुत्र श्री छीतरू व हाल पत्नी श्री मंगल सिंह, निवासी गांव परगाणु, डा0 व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 21-10-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम सहबन गलती से पटवारी पटवार वृत्त खोखन फाटी व कोठी खोखन में कमला देवी पुत्री मोहन पुत्र श्री छीतरू की जगह गुड्डी पुत्री श्री मोहन पुत्र छीतरू नाम दर्ज हुआ है। जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थिया अराजी हजा के इन्द्राज में अपना नाम गुड्डी पुत्री मोहन से दुरुस्त करके गुड्डी उर्फ कमला देवी पुत्री मोहन पुत्र छीतरू दर्ज करना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके

उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 31-NCT/2024

दायर तिथि : 07-08-2024

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री सोहन लाल उर्फ पागतो पुत्र श्री छेरिंग तण्डुप, निवासी गांव सांरग, डा0 कोलोंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त बराये कागजात माल में नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री सोहन लाल उर्फ पागतो पुत्र श्री छेरिंग तण्डुप, निवासी गांव सांरग, डा0 कोलोंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 07-08-2024 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका व उसके पिता का नाम सहबन गलती से पटवारी पटवार वृत्त बजौरा फाटी व कोठी बजौरा में रमेश कुमार पुत्र सोहन लाल उर्फ पागतो की जगह थरचेन पुत्र पागतो नाम दर्ज हुआ है। जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। अब प्रार्थी अराजी हजा के इन्द्राज में अपना व अपने पिता का नाम थरचेन पुत्र पागतो से दुरुस्त करके थरचेन उर्फ रमेश कुमार पुत्र पागतो उर्फ सोहन लाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी व प्रार्थी के पिता के नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 51-BT/2023

दायर तिथि : 15-07-2024

श्रीमती सवित्री देवी पुत्री श्री गुरदास हाल पत्नी श्री देवी राम, निवासी गांव टापरुबाई, डा0 जलुग्रां, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सवित्री देवी पुत्री श्री गुरदास हाल पत्नी श्री देवी राम, साकन गांव टापरुबाई, डा0 जलुग्रां, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1973 को स्थान गांव बन्जर (शाड़ाबाई), डा0 व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु प्रार्थिया के माता-पिता उसके जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत कलैहली, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सके हैं।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती सवित्री देवी पुत्री श्री गुरदास हाल पत्नी श्री देवी राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 50-BT/2023

दायर तिथि : 23-08-2024

श्री दिपक सहगल पुत्र श्री कमल प्रकाश सहगल, निवासी गांव व डा0 शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दिपक सहगल पुत्र श्री कमल प्रकाश सहगल, निवासी गांव व डा0 शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया गया है कि उसका जन्म दिनांक 21-10-1981 को स्थान गांव व डा0 शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु उसके माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्य उसके जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर पंचायत भुन्तर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सके हैं।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री दिपक सहगल पुत्र श्री कमल प्रकाश सहगल की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 18-MT / 2024

दायर तिथि : 01-07-2024

1. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री गोपाल दास साकन, गांव बगीचा, डा0 पिपलागे, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

2. श्रीमती दुरवती पुत्री श्री नन्द राम, निवासी गांव अंगुडोभी, डा0 पुईद, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 01-07-2024 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 20-05-2023 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बशौण, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर

अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
मुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

ब अदालत भू-सुधार अधिकारी एवं तहसीलदार, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री विनोद कुमार पुत्र गोपाल नन्दन पुत्र दिले राम, निवासी गांव बाहोट, डा0 व तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

Application U/S 104 (3) of H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972 to conferring the proprietary right of ownership in the name of tenants.

श्री विनोद कुमार पुत्र गोपाल नन्दन पुत्र दिले राम, निवासी गांव बाहोट, डा0 व तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय Application U/S 104 (3) of H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972 to conferring the proprietary right of ownership in the name of tenants बारे बराये मुहाल बाहोट/25 के खाता/खतौनी नं0 29/45 खसरा नं0 274, 278 व 301, कित्ता 03, रकबा 00-08-06 बीघा बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-10-2024 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
भू-सुधार अधिकारी एवं तहसीलदार,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार, ऊना, तहसील एवम् जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं० : 95/24

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

तारीख दायर : 03-10-2024

नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती सोनिका सैनी मनराय पत्नी कर्नल अनिल कुमार मनराय, निवासी फेज 4, रक्कर कॉलोनी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

. प्रतिवादी।

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश:

नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थिया श्रीमती सोनिका सैनी मनराय पत्नी कर्नल अनिल कुमार मनराय, निवासी फेज 4, रक्कर कॉलोनी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 03-10-2024 को प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि वह अपना नाम सोनिका सैनी की बजाए सोनिका सैनी मनराय करना चाहती है। प्रार्थिया द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज नाम दुरुस्ती बारे साथ संलग्न किये गये हैं 1. प्रार्थिया का शपथ-पत्र, 2. हिन्दी व इंग्लिश का न्यूजपेपर, 3. आधार कार्ड, 4. पैन कार्ड आदि जिससे प्रतीत होता है की प्रार्थिया अपना नाम सोनिका सैनी मनराय करना चाहती है व नाम सोनिका सैनी मनराय करना उचित होगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
नायब तहसीलदार,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री सतीश कुमार पुत्र जसपाल, वासी धर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) व श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री कशमीरी लाल, वासी दवखेड़ा लोअर, डा0 अजौली, जिला रोपड़ (पंजाब)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार मुश्री मुनादी आवेदन-पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4(2) of 2004.

प्रार्थी श्री सतीश कुमार पुत्र जसपाल, वासी धर्मपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 29-09-2019 को श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री कशमीरी लाल, वासी दवखेड़ा लोअर, डा0 अजौली, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुई है लेकिन उनकी शादी ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं हुई है। अतः प्रतिवादीगण को बजरिया मुश्री मुनादी इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 07-11-2024 तक असालतन या वकालतन इस न्यायालय में पेश कर सकता है। अन्यथा उसके बाद कोई एतराज मान्य नहीं होगा और उक्त शादी पंजीकरण करने के लिये सम्बन्धित पंचायत को आदेश दे दिए जाएंगे और मुकद्दमा का निपटारा/फैसला नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 04-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Pingla Devi w/o Sh. Devender Kumar aged about 34 years, r/o Village Slapper, P.O. Sadwhan, Tehsil Sundernagar, District Mandi declare that I have changed my daughter's name from Ambika Bhardwaj (Old late to Amayra Bhardwaj New Name, all concerned please may be noted.

PINGLA DEVI
w/o Sh. Devender Kumar,
r/o Village Slapper, P.O. Sadwhan,
Tehsil Sundernagar, District Mandi.

CHANGE OF NAME

I, No. 14922849F Hav. Kamlesh Kumar (Retd.) s/o Sh. Rawalu Ram, r/o Village Jodhan, P.O. Sajaopiplu, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) have changed my daughter's name from Manisha Himalyan to Palavi Thakur in my army service record vide affidavit dated 28-09-2024 before Notary Public Sarkaghat.

KAMLESH KUMAR
s/o Sh. Rawalu Ram,
r/o Village Jodhan, P.O. Sajaopiplu,
Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Priya Dei w/o Prem Chand, r/o Village Astani, P.O. Samoli, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) have changed my name to Prem Devi.

PRIYA DEI
w/o Prem Chand,
r/o Village Astani, P.O. Samoli,
Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Guddi, 56 w/o Sh. Jeetu, r/o Village Kyarku (113), P.O. Dhadi Ghunsa, Tehsil Rohru, District Shimla declare that I have changed my name from Gulmi Devi to Guddi. All concerned please note.

GUDDI
w/o Sh. Jeetu,
r/o Village Kyarku (113),
P.O. Dhadi Ghunsa, Tehsil Rohru, District Shimla.

CHANGE OF NAME

I, Shiv Ram (Former name) s/o Sh. Gilji Ram employed as Beldar posted at Jal Shakti Department Lad-Bharol, Tehsil Lad-Bharol, District Mandi (H.P.) do hereby declare that I have changed my name from Shiv Ram to Shiv Lal for all purposes. Concerned please note.

SHIV RAM
s/o Sh. Gilji Ram,
Jal Shakit Department Lad-Bharol,
Tehsil Lad-Bharol, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Oman Pathy w/o Late Sh. Madho Ram, r/o Village Dehru (Maharaj Nagar), P.O. Maharaj Nagar, Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card is wrongly entered as Omapati instead of Oman Pathy.

OMAN PATHY
w/o Late Sh. Madho Ram,
r/o Village Dehru (Maharaj Nagar), P.O. Maharaj Nagar,
Tehsil Jaisinghpur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sonika Saini (Maiden Name) *alias* Sonika Saini Manrai *alias* Sona Manrai w/o Col. Anil Kumar Manrai, r/o H. No. 207, Phase 4, Rakkar Colony, Una, Distt. Una (H.P.)-174 303 hereby declare that I have changed my name to Sonika Saini Manrai.

SONIKA SAINI (Maiden Name) *alias* SONIKA SAINI MANRAI *alias* SONA MANRAI
w/o Col. Anil Kumar Manrai,
r/o H. No. 207, Phase 4,
Rakkar Colony, Una, Distt. Una(H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mahender Lal Thakur s/o Sh. Mehar Chand, r/o Village Sohar, P.O. & Tehsil Sandhol, Distt. Mandi (H.P.)-176 090 declare that I have changed my name from Mahender Lal Thakur (Previous Name) to Mehander Lal (New Name) . All concerned please may note.

MAHENDER LAL THAKUR
*s/o Sh. Mehar Chand,
r/o Village Sohar, P.O. & Tehsil Sandhol,
Distt. Mandi (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Nirmla w/o Sh. Madan Lal, r/o Village Gadawag, P.O. Pahal, Sub-Tehsil Dhami, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.)-171 007 solmny affirm and declare that in my Aadhar Card No. 3611 2534 9592 my name and address was inadvertently recorded as Draupti Devi and address Village Vanevag, Tehsil Kumarsain Chekar (155) Chitkul, Kumarsain Shimla (H.P.). That necessary correction in my above Aadhar Card regarding my name as Nirmla and address Village Gadawag, P.O. Pahal, Sub-Tehsil Dhami, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.)-171 007 may kindly be made accordingly.

NIRMLA
*w/o Sh. Madan Lal,
r/o Village Gadawag, P.O. Pahal, Sub-Tehsil Dhami,
Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Basanti Verma w/o Late Sh. Nokh Ram, r/o Village Shakrori, P.O. Chaba, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.)-171 301 declare that I have changed my name from Manorama (Previous Name) to Basanti Verma (New Name) in my Aadhar Card No. 5483 8313 7080 record. All concerned please may note.

BASANTI VERMA
*w/o Late Sh. Nokh Ram,
r/o Village Shakrori, P.O. Chaba,
Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Navdeep Singh *alias* Navdeep Singh Bains (21) s/o Gurmeet Singh, r/o Village Bersan, P.O. Manjholi Nalagarh, Solan (H.P.)-174 101 declare that Navdeep Singh *alias* Navdeep Singh Bains both are names of same person. In future he will be known as Navdeep Singh.

NAVDEEP SINGH *alias* NAVDEEP SINGH BAINS
*s/o Gurmeet Singh, r/o Village Bersan ,
P.O. Manjholi Nalagarh, Solan (H.P.).*

